फरीदाबाद
मजदूर समाचार
राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया
नई सीरीज नम्बर 190 | अप्रैल 2004

कहत कबीर

8 घण्टे ड्युटी बाद ओवर टाइम काम, ड्युटी बाद पार्ट टाइम काम, ड्युटी बाद धन्धा करना आगे ही कमजोर सम्बन्धों को और कमजोर करते हैं।

कौन से तरीके? कौन सी राहें?

बुजुर्ग मजदूर : " मैंने ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल में 22 साल काम किया। ईस्ट इण्डिया फैक्ट्री 1996 से बन्द है और आज तक मुझे हिसाब नहीं मिला है। इन 8 वर्षों में कई जगह धक्के खा कर अब मैं सैक्टर-59 में एक फैक्ट्री में सेक्युरिटी गार्ड लगा हूँ। नई उम्र के लड़के-लड़कियों को रोज फैक्ट्री गेट पर नौकरी ढूँढने आते देखता हूँ। जो भर्ती कर लिये जाते हैं उन्हें फैक्ट्री में हाय उत्पादन-हाय उत्पादन में निचुड़ते-निचोड़े जाते देखता हूँ। ड्युटी व ओवर टाइम बाद लटके चेहरे लिये युवाओं को फैक्ट्री से बाहर निकलते देख उदास होता हूँ। हमारे समय में तो परमानेन्ट होने की चाह ले कर किसी गेट पर भर्ती होने जाते थे परन्तु अब तो मात्र 5-6 महीने के वास्ते भीड़ को उमड़ते देखता हूँ। निराश चेहरों को लौटते देख कर दुखी होता हूँ। लगता है कि मेरा 22 साल की सर्विस का हिसाब डूब गया है लेकिन हमारे समय परमानेन्ट और हिसाब की बात तो थी जबकि इस पीढी के लिये तो हिसाब वाली बात ही नहीं है – 6 महीने बाद ब्रेक कर ही देते हैं, निकाल देते हैं। ऊपर से आज मजदूरों को बहुत ही ज्यादा निचोड़ा जा रहा है। हमारा तो जो हुआ सो हुआ पर हमारे इन बच्चों का क्या होगा?"

●जो बीत गया वह बेहतर था। वर्तमान बरदाश्त से बाहर है। यही ढर्रा रहा तो भविष्य में जीवन असम्भव है।

●न कोई व्यक्ति, न कोई संस्था, न कोई स्थान भरोसे लायक रहा है। चौतरफा असुरक्षा ही असुरक्षा है।

●व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति सब कुछ कर सकती है। अतियों के बीच थपेड़े नियति बन गई है। कभी एक अति तो कभी दूसरी अति तन-मन का कचूमर निकालती है। सन्तुलन को वास्तविकता ने असम्भव बना दिया है।

●जन्मे हैं तो जीवन काटना ही है। ज्यादा सोचेंगे तो आत्म-बलिदान अथवा आत्म-हत्या के निष्कर्ष पर ही पहुँचेंगे। बदलेगा कुछ नहीं।

●हालात बद से बदतर ही होंगी। यह किसी हताशा-निराशा की अभिव्यक्ति नहीं है। यह तो हकीकत का कटु सत्य बयान करना है।

इस प्रकार की बातें चिन्तन-मनन में साफ-साफ प्रकट होती हैं। व्यक्ति सोच-विचार कर बोलती है तब भी और व्यक्ति भावावेश में बोलता है तब भी इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। विश्वव्यापी लगती है यह मनोदशा। इसे वर्तमान समाज व्यवस्था का प्रतिबिम्ब कह सकते हैं। लगता है कि मानव योनि सामाजिक मनोरोग का शिकार हो गई है।

क्या नहीं करें

परेशानियाँ, बढती परेशानियाँ आक्रोश को जन्म तो देती ही हैं। और जो है उसके प्रति क्रोध तो होना ही चाहिये। हमारे गुस्से की दिशा क्या हो ?

●अति सक्रिय नेताओं और उनके इर्द-गिर्द सक्रिय पाँच-दस प्रतिशत आबादी के जरिये खुशहाली प्राप्त करना तो सपना ही रहा, राहत भी नहीं मिली और हालात बद से बदतर हुई हैं।

> हमारी मेहनत हमारी दुर्गत करती है। जितना अधिक हम परिश्रम करते हैं उतना ही अधिक हमें नुकसान होता है। नई-नई मशीनें, नित नया ज्ञान राहत की बजाय आफत हैं। हमारी बचत, हमारे संचय मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण पृथ्वी को तहस-नहस कर रहे हैं। सीधे के नाम पर सब उलटा हो रहा है। नये सिरे से सोचने-विचारने की आवश्यकता है।

जलूस-सभा-मोर्चा-चन्दा नाकारा तो साबित हुये ही हैं, मजदूरों-मेहनतकशों की कीमत पर सौदेबाजी का जरिया बन कर यह नुकसानदायक भी रहे हैं। ऐसे में बढती सँख्या द्वारा इन से किनारा करना अच्छी बात है। नये नेता, नये तारणहार मृगमरीचिका हैं और मुड़-मुड़ कर इन्हें आजमाना हमारी नादानी से अधिक हमारी असहायता की तसदीक करना है।

●बगावत, विद्रोह, क्रान्ति, विप्लव को भारी-भरकम शब्द बताना और " हमें तो बच्चे पालने हैं" का मन्त्र-जाप व्यापक तो था ही, इधर यह और व्यापक हुआ है। वर्तमान समाज व्यवस्था के दायरे में बढना-चढना-टिके रहना के आचार-विचार का बोलबाला दुर्गत को और बढाना लिये है। मनुष्य के मण्डी में माल बन जाने, होड़ में-प्रतियोगिता में मनुष्यों के धकेले जाने और मण्डी के चरित्र के मुताबिक मनुष्य के भाव गिरते जाने के विरोध की बजाय :

> बगावत थाणेदारी के खिलाफ, थाणेदारी की इच्छा के खिलाफ। विद्रोह मण्डी के विरुद्ध, मण्डी में मनुष्य के माल बन जाने के विरुद्ध।

— परिवार के अधिक सदस्यों द्वारा काम करना। अपनी औकात दिखाने-बढाने के लिये वस्तुओं को खरीदना-प्रदर्शित करना।

— तनखा कम है। ओवर टाइम करना। साप्ताहिक छुट्टी नहीं करना। बीमार होने पर भी ड्युटी करना। पार्ट टाइम काम ढूँढना। बच्चों से काम करवाना।

— अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। सुरक्षा की तलाश में नौकरी के संग अन्य कोई धन्धा करना। अपनी रुचियों का गला घोंटना। आराम नहीं करना। "बिना मतलब" के किसी से मिलना नहीं।

बदहाली का यह सरल समाधान बदहाली बढाता है। यह बढती दुर्गत से उपजते अपने गुस्से को आत्मघात की दिशा में मोड़ना है।

क्या करें ?

" विरोध करेंगे तो निकाल देंगे।" "विरोध कर ही नहीं सकते।" " विरोध का असर नहीं पड़ता – कोई सुनता ही नहीं।" " लोग विरोध करने को तैयार नहीं हैं – लोग साथ नहीं देते।"

इस प्रकार की बातें विरोध के प्रचलित अर्थ को दर्शाती हैं। विरोध और विरोध के असर को मापने का पैमाना ऊँच-नीच वाली व्यवस्थाओं में सिर-माथों पर बैठने वालों का पैमाना है। तत्काल और मूर्त रूप में दीखना ही मायने रखता है। यह पैमाना सामान्य जन को महत्वहीन दर्शाने का जरिया है।

जबकि, सामान्य जन और सामान्य जीवन ही वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हमें तरीके-राहें वे चाहियें जो सामान्य जन की सामान्य गतिविधियों को असहाय-गौण बनाने-दिखाने की बजाय उनकी सक्षमता, उनका महत्व स्थापित करती हों।

जैसे यह आम जन का सामान्य कार्य है जिसने यह विकट-विकराल स्थिति निर्मित करने में अहम भूमिका निभाई है वैसे ही सामान्य जन इस सब के विरोध में सामान्य कदम उठायें

(बाकी पेज दो पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून : •37-40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7-10 तारीख तक दे ही देना; •8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से; • सप्ताह में एक छुट्टी व 8 घण्टे प्रतिदिन ड्युटी पर महीने में अकुशल श्रमिक-हैल्पर की कम से कम तनखा 2244 रुपये (हरियाणा) व 2784 रुपये (दिल्ली), कुशल मजदूर की 2505 रुपये (हरियाणा) व 2980 रुपये (दिल्ली), उच्च कुशल मजदूर 2804 (हरियाणा) व 3208 रुपये (दिल्ली)

क्लच आटो मजदूर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 10 मार्च को एक कैजुअल वरकर का हाथ कट गया — यहाँ प्रेस शॉप में मजदूरों के हाथ कटते ही रहते हैं। कम्पनी ने जनवरी की तनखा एक शिफ्ट को 10 फरवरी को दी थी, दूसरी शिफ्ट के मजदूरों को 27 फरवरी को जा कर दी और स्टाफ को तो 5 मार्च को। इधर फरवरी की तनखा कम्पनी ने 17 मार्च को देनी शुरू की है — पूरी पता नहीं कब करेगी।"

एच.जे.इंजिनियरिंग वरकर : "प्लॉट 352 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1600 रुपये महीना देते हैं — ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं। फरवरी की तनखा आज 13 मार्च तक नहीं दी है।"

नोरदर्न इण्डिया लैदर वरकर : "प्लॉट 18 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। यहाँ 80 परमानेन्ट और 400 के करीब कैजुअल वरकर काम करते हैं। परमानेन्टों को ओवर टाइम का भुगतान डेढ की दर से और कैजुअलों को सिंगल रेट से करते हैं।"

एजीको कन्ट्रोल्स मजदूर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया में ढाण्ढा कम्पलैक्स में स्थित फैक्ट्री में फरवरी की तनखा आज 19 मार्च तक हमें नहीं दी है। जनवरी का वेतन 28 फरवरी को जा कर दिया था। रोज 2 घण्टे ओवर टाइम पर जबरन रोकते हैं और 2001-02-03 में करवाये ओवर टाइम के पैसे नहीं दिये हैं। कैजुअल वरकरों को 1200-1500 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

सेक्युरिटी गार्ड : "457 सैक्टर-8 में कार्यालय वाली **प्रोम्पट सेक्युरिटी सर्विस** गार्डो से रोज 12 घण्टे ड्युटी करवाती है। आठ घण्टे रोज ड्युटी पर महीने की तनखा 1500 रुपये है और 12 घण्टे पर महीने में 2250 रुपये देते हैं। पता नहीं क्या बात है कि तनखा पर गार्ड से कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करवाते। रात को सो रहे थे का झूठा आरोप लगा कर तनखा काट लेते हैं और नशे में अफसर लोग गाली-गलौज, मार-पीट तक कर देते हैं।"

नेशनल सीमेन्ट बोर्ड वरकर : "सीमेन्ट रिसर्च संस्थान में ठेकेदार के जरिये रखे गये हम मजदूरों को 1700 रुपये महीना तनखा देते हैं। हमें ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं, प्रोविडेन्ट फण्ड काटते हैं पर पर्ची नहीं मिली है इसलिये पता नहीं जमा करते हैं अथवा नहीं। न हमें वर्दी दी जाती और न वर्दी के पैसे ही।"

जयको स्टील मजदूर : "प्लॉट 169 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम की पेमेन्ट सिंगल रेट से।"

लार्सन एण्ड टुब्रो वरकर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में कम्पनी अधिकारी ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को बहुत तंग करते हैं। ठेकेदार कम्पनी 12 घण्टे ड्युटी रोज पर महीने के 1800-2800 रुपये देती है।"

ब्रॉन लैबोरेट्री मजदूर : "13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 30 के करीब परमानेन्ट और लगभग 150 कैजुअल वरकर हैं। हम कैजुअल वरकरों को फरवरी की तनखा आज 19 मार्च तक नहीं दी है जबकि परमानेन्ट मजदूरों को दे दी गई है।"

ध्रुव ग्लोबल वरकर : "14 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 350 मजदूर काम करते हैं और 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में कैन्टीन है पर चाय 2 रुपये में और थाली 10 रुपये में। साहब लोग गालियाँ तो देते ही हैं, दो साल से लगातार काम कर रहों को भी जब चाहें निकाल देते हैं।"

ओमेगा ब्राइट स्टील मजदूर : "प्लॉट 109 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों को 1700 रुपये महीना तनखा है।"

गुडईयर टायर वरकर : "फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे गये हम मजदूरों को फरवरी की तनखा आज 20 मार्च तक नहीं दी है। भर्ती के लिये रिश्वत तो लेते ही हैं, फैक्ट्री में काम करते 3 घण्टे हो जाते हैं तब भी उस दिन के लिये वापस भेज देते हैं।"

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : "12/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में फरवरी की तनखा आज 19 मार्च तक कुछ मजदूरों को ही दी है।"

तेजिन्दा इंजिनियरिंग वरकर : "सोहना रोड़ स्थित फैक्ट्री का नाम पहले तेजिन मशीन टूल्स था। हमें ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं लेकिन हमारा प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं है।"

सर्व पावर प्रेसेज मजदूर : "प्लाट 52 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में जिन वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं उनका भी प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं है।"

लम्बी दूरी ट्रक ड्राइवर (पेज चार का शेष)

माल उठाया तो बुलन्दशहर, अलीगढ, हाथरस और आगरा में अलग-अलग पुलिस व आर.टी.ओ. खर्चा तो उत्तर प्रदेश में ही देने पड़ते हैं। राजस्थान सीमा और फिर धौलपुर। मध्यप्रदेश में मुरैना, बामौर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, देवास, इन्दौर, मऊ में यही रिश्वत का सिलसिला। महाराष्ट्र सीमा और फिर नडेडा, धुले, मालेगाँव, नासिक, मुम्ब्रा, मुलण्ड .... 200 की जगह 100 रुपये — रसीद नहीं। जगह-जगह रिश्वत व हेरा-फेरी के बिना ट्रक अपने गन्तव्य पहुँच ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार की गँगा में कदम-कदम पर जलालत और चालाकी के मिश्रण द्वारा ड्राइवर भी 'खर्चा' में से दो पैसे लेने की फिराक में रहता है। रास्ते में चोरी-डकैती का डर भी और इस सब की जिम्मेदारी ड्राइवर की। एक्सीडेन्ट .... एक्सीडेन्ट .... एक्सीडेन्ट ....

"इन हालात में लाइन के ड्राइवरों में नशाखोरी व्यापक है। लाइन के ढाबों में अफीम, चरस, डोडा, भुक्की, शराब, गाँजा खुलेआम उपलब्ध रहते हैं। दिल्ली-मुम्बई के बीच कम से कम 250 जगह तो वेश्यावृत्ति होती है — इन जगहों का नाम ही बत्ती वाली दुकान पड़ा हुआ है। भरे बैठे ट्रक ड्राइवरों के बीच आपस में सड़क पर अकड़बाजी चलती है। एक-दूसरे को खूब परेशान करते हैं. .... जबकि जरूरत हालात को बदलने के लिये आपस में तालमेलों की है।"

कौन से तरीके? कौन सी राहें? (पेज एक का शेष)

तो वर्तमान को विगत बनाने में देर नहीं लगेगी। उँगली पे कंकड़ उठाना प्रत्येक प्रतिदिन कर सकती-सकता है। तालमेलों द्वारा यह कंकड़ उठाना दमन-शोषण के हिमालय का नामोनिशान मिटा देगा।

व्यक्ति के आदर, व्यक्ति के सामाजिक आदर का आधार आपसी मेल-मिलाप व परस्पर सद्व्यवहार हैं। और, इन्हीं को सुफल-सफल जीवन का जरिया व लक्ष्य बनाना बनता है।

मतलब होगा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलना तो होता ही है बिना मतलब के मिलना।

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये:

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

कुछ फुरसत में

ओरियन्ट स्टील मजदूर : "मथुरा रोड पर कम्पनी के दो प्लान्ट हैं – 20/1 पर कोल्ड रोलिंग का और बापू नगर के सामने हॉट रोलिंग का काम होता है। गर्म लोहे के छींटों से लोग बुरी तरह जल जाते हैं लेकिन 7-8 साल से लगातार काम कर रहे 10 मजदूरों को कैजुअल-ठेकेदार के कहते हैं और उन्हें तो ई. एस.आई. कार्ड तक नहीं दिये हैं। इधर हॉट रोलिंग प्लान्ट में 10 मार्च से 15 दिन की ले-ऑफ लगा दी गई है और सिर्फ परमानेन्ट मजदूरों को ही ले-ऑफ कीआधी तनखा मिलेगी।

"ओरियन्ट स्टील के कोल्ड रोलिंग प्लान्ट में कैजुअल कहे जाते 40 के करीब मजदूरों को 1500-1600 रुपये महीना तनखा देते हैं – ई. एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ नहीं। कोल्ड रोलिंग में हाथ ज्यादा कटते हैं और इन मजदूरों का प्रायवेट में इलाज करवा कर फिर बिना कोई मुआवजा दिये नौकरी से निकाल देते हैं।

"ओरियन्ट स्टील में परमानेन्ट वरकरों को फरवरी की तनखा 13 मार्च को दी और ठेकेदारों के जरिये रखों को आज 16 मार्च तक नहीं दी है।"

पोली मेडिक्योर वरकर : "प्लॉट 105 सैक्टर-59 स्थित फैक्ट्री में मजदूरों का कोई महत्व नहीं है – हम से जानवरों की तरह काम लेते हैं। अफसरों को अपनी परेशानी बताते हैं तो नौकरी से निकाल देते हैं और हिसाब के लिये दो महीने बाद आने को बोलते हैं व तब भी चक्कर कटवाते हैं। पोली मेडिक्योर में लड़कों की 12-12 घण्टों की दो शिफ्ट हैं – आधा घण्टा भोजन का काट कर साढे तीन घण्टे के ओवर टाइम के पैसे देते हैं और वे भी दुगनी दर की बजाय डेढ की दर से। उत्पादन बहुत ज्यादा निर्धारित कर रखा है और उसे नहीं दे पाने पर ओवर टाइम में से एक-दो घण्टे का समय काट लेते हैं। पोली मेडिक्योर फैक्ट्री में एक हजार से ज्यादा मजदूर हैं – 200 के करीब तो लड़कियाँ हैं, परन्तु फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है। हम 12 घण्टे काम करते समय एक कप चाय के लिये तरस जाते हैं। लड़कियों के लिये तो है पर लड़कों के लिये फैक्ट्री में भोजन करने के स्थान तक का प्रबन्ध कम्पनी ने नहीं किया है। सफाई के नाम पर कम्पनी हमें जूते-चप्पल, भोजन का डिब्बा कार्यस्थल पर नहीं ले जाने देती और इन्हें रखने के लिए किसी स्थान का प्रबन्ध भी नहीं किया है। जूते-चप्पल और लन्च बॉक्स चोरी होते रहते हैं और शिकायत करने पर परसनल विभाग वाले बोलते हैं कि तुम भी किसी के उठा ले जाओ।"

लखानी शूज मजदूर : "सब प्लान्टों में मैनेजमेन्ट ने परमानेन्ट करने की चर्चा चलाई थी – पाँच-छह साल से लगातार काम कर रहों को नियुक्ति-पत्र देने और ग्रेच्युटी फार्म भरने की बात थी पर अब वह सब आई-गई हो गई है। ऑपरेटरों को लखानी शूज में हैल्परों का ग्रेड देते हैं। हाँ, इधर कम्पनी ने नोटिस लगाया है कि मजदूर छुट्टियाँ नहीं लें क्योंकि वह छुट्टियों के इस वर्ष पैसे देगी। दरअसल, 14 कैजुअल और 14 अर्न्ड छुट्टियाँ वर्ष में होती हैं और पिछले वर्ष जिन मजदूरों ने यह छुट्टियाँ नहीं ली उन्हें कम्पनी ने बदले में पैसे नहीं दिये – ऐसे में मैनेजमेन्ट को डर हो गया कि इस वर्ष सब मजदूर यह छुट्टियाँ लेंगे ही, इसलिये यह पैसे देने का नोटिस लगाया है।"

हाई पोलीमर लैब वरकर : "प्लॉट 8 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री से मैनेजमेन्ट ने लगातार काम कर रहे मजदूरों को बड़ी सँख्या में नौकरी से निकाला तब लीडरों ने श्रम विभाग में शिकायत की थी। फरवरी 03 में श्रम विभाग में लिखित में समझौता हुआ था जिसके तहत साल-भर से लगातार काम कर रहे 250 मजदूरों की नौकरी तो गई परन्तु 8-10 साल से काम कर रहे 31 मजदूरों को ड्युटी पर ले लिया गया। लेकिन मई 03 में इन 31 वरकरों को कम्पनी ने फिर नौकरी से निकाल दिया। फिर श्रम विभाग में शिकायत की हुई है। दरअसल, कम्पनी ठेकेदारों के जरिये वरकर रखने की राह पर बढ रही है। इस समय ही हाई पोलीमर लैब में कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती किये 250 मजदूर हैं जबकि ठेकेदारों के जरिये फैक्ट्री में रखे वरकर 300 से ज्यादा हैं। हादसों का स्थल रही हाई पोलीमर लैब को और हादसों की राह पर धकेला जा रहा है।"

मेल्को प्रिसीजन मजदूर : "प्लॉट 4 सैक्टर-27ए स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से शाम साढे चार बजे तक एक ही शिफ्ट है लेकिन रोज 4 घण्टे ओवर टाइम रहता है। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से करते हैं। फैक्ट्री पर 18 मार्च को सवा पाँच बजे श्रम विभाग ने छापा मारा तब कम्पनी के सब अफसर फैक्ट्री से भाग गये। मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय फैक्ट्री में नहीं था। सवा पाँच बजे फैक्ट्री में उत्पादन कार्य जारी था – लगता है कि कम्पनी ओवर टाइम को छिपाती थी। मेल्को प्रिसीजन में कैजुअल वरकरों को 70 रुपये रोज देते हैं।"

सारांश इंजिनियरिंग वरकर : "प्लॉट 321 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1500-1600 और ऑपरेटरों को 2200-2300 रुपये महीना तनखा देते थे। फैक्ट्री में कुल 70 मजदूर थे जिनमें से 45 को जुलाई 03 में मैनेजमेन्ट ने नौकरी से निकाल दिया। पैंतालिस में से हम 19 ने श्रम विभाग में शिकायत की। हमें फैक्ट्री से बाहर किये को यह नौवाँ महीना है। श्रम विभाग में हमारी बात सुनते ही नहीं – अधिकारी कहते हैं कि फैक्ट्री बन्द है जबकि फैक्ट्री चल रही है।"

सुपर फैशन

सुपर फैशन मजदूर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने स्वयं 250 वरकर और तीन ठेकेदारों के जरिये एक हजार मजदूर रखे हैं। फैक्ट्री में सुबह साढे नौ से शाम सवा छह बजे तक की पौने नौ घण्टे की शिफ्ट को 8 घण्टे की शिफ्ट कहते हैं – आधा घण्टा भोजन का और 15 मिनट चाय का! सिलाई, कढाई, धागा काटने और प्रोसेसिंग-फिनिशिंग विभागों में यह पौने नौ घण्टे की ड्युटी है। इन विभागों में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 1500-1600 रुपये महीना तनखा देते हैं और कारीगरों को पीस रेट पर रखते हैं। कम्पनी द्वारा स्वयं रखे हैल्परों की तनखा 2200 रुपये महीना है। कम्पनी जिन्हें स्वयं भर्ती करती है उनकी नौकरी में 6 महीने बाद ब्रेक दिखा कर उन्हें फिर रख लेती है।

"सुपर फैशन फैक्ट्री में काम का दबाव तो है ही, ओवर टाइम भी अकसर लगता है। ओवर टाइम की पेमेन्ट जो तनखा देते हैं उसके सिंगल रेट से करते हैं। बारह की जगह 16 घण्टे काम करवाते हैं तब हैल्पर को 18 रुपये और ऑपरेटर को 22-28 रुपये भोजन के लिये देते हैं। हैल्परों को 24-36 घण्टे लगातार काम के लिये रोक लेते हैं – फैक्ट्री में माँग आने की बात है। ज्यादातर मजदूरों को लगातार खड़े-खड़े काम करना पड़ता है – कुछ महिला मजदूर स्टूल का जुगाड़ कर लेती हैं। डेढ-दो सौ महिला मजदूर सुबह साढे नौ से रात साढे नौ बजे तक काम करती हैं – कभी-कभी तो उन्हें भी पूरी रात ओवर टाइम पर रोक लिया जाता है।

"सुपर फैशन फैक्ट्री में कैन्टीन है – डेढ रुपये में चाय और 10 रुपये में भोजन। लेकिन रात को कैन्टीन बन्द रहती है। तीन शिफ्ट वाले निटिंग डिपार्ट वरकरों को रात 10 से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में चाय तक नहीं मिलती। सोलह घण्टे के लिये रोके जाते मजदूरों को रात 10 बजे सराय ख्वाजा जा कर भोजन करने के लिये 10 मिनट देते हैं। कम्पनी 12 घण्टे काम लेते समय अपनी तरफ से एक कप चाय तक नहीं देती। हाँ, फैक्ट्री में दादागिरी खूब है। सेक्युरिटी वाले जिस किसी वरकर को गाली दे देते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं। फैक्ट्री में ठेकेदारों के सुपरवाइजर भी हैं जो सिर पर खड़े रहते हैं और हैल्परों से गाली दे कर बात करते हैं।

"सुपर फैशन कम्पनी जिन्हें स्वयं भर्ती करती है उनकी ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं और पे-स्लिप भी है। जबकि ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को ई.एस. आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं, पे-स्लिप नहीं और हाजरी के लिये पंचिंग मशीन भी अलग है।

"सुपर फैशन फैक्ट्री में जाँच के लिये खरीददार-बायर के दल आते रहते हैं – गोरे लोग होते हैं। उनके आने के समय खूब सफाई करवाई जाती है और मास्क-वास्क भी देते हैं। बायर दल के साथ-साथ परसनल मैनेजर के आदमी होते हैं। हिदायतें होती हैं कि किसी मजदूर से ओवर टाइम के बारे में पूछें तो कहो कि ओवर टाइम नहीं लगता, कॉन्ट्रैक्टर-ठेकेदार के बारे में पूछें तो कहो कि नहीं हैं और कि सब कम्पनी के वरकर हैं....."।

लम्बी दूरी ट्रक ड्राइवर

युवा ट्रक ड्राइवर : ''हमारे काम के घण्टे तो होते ही नहीं। जब गाड़ी पकड़ते हैं वह पहला घण्टा होता है और जब छोड़ते हैं वही आखिरी घण्टा होता है। सोते हैं तब चौकीदार की तरह काम करते हैं और जागने में ड्राइवरी करते हैं। लोड हो चाहे खाली, गाड़ी के साथ ड्राइवर अथवा क्लीनर में से एक को रहना ही रहना है। हमारी ड्युटी 24 घण्टे की होती है और तनखा 8 घण्टे की मिलती है। और, यह मान कर चला जाता है कि ड्राइवर हेरा-फेरी करे — लम्बी दूरी के लाइट गुड्स ड्राइवरों की तनखा 3000 रुपये महीना तथा हैवी गुड्स ड्राइवरों की 1500-2000 रुपये! शुरुआत ही हमें चोर मान कर की जाती है — तनखा के अलावा 'खर्चा' में से बचाने की बात रहती है।

'' लम्बी दूरी — आमतौर पर एक तरफ एक हजार किलोमीटर से ज्यादा — के ड्राइवरों को लाइन के ड्राइवर कहा जाता है और इस से कम दूरी वालों को लोकल कहा जाता है। तय है कि ट्रक लोड होने के साथ ही लाइन के ड्राइवर को कम से कम 500 किलो मीटर प्रतिदिन गाड़ी चलानी है। बड़ी गाड़ी के लिये शहरों में 40 किलो मीटर प्रति घण्टा की अधिकतम सीमा निर्धारित है। फिर लाल बत्ती, अवरोधक, चुँगी, टोल टैक्स, पुलिस बैरियर, बिना बैरियर वाली पुलिस रोक, एक्साइज व सेल्स टैक्स वालों द्वारा रोकना, आर.टी.ओ. .... तो हैं ही। इन सब बन्धनों के होते हुये 500 किलो मीटर प्रतिदिन! इसलिये हम रात को ज्यादा चलते हैं — दिन में नहाना, खाना, सफाई, लोड व अनलोड। रात को गाड़ी 60-70 किलो मीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से दौड़ाते हैं तब 40 की औसत पड़ती है। इसलिये 500 किलो मीटर के लिये प्रतिदिन साढे बारह घण्टे तो गाड़ी चलानी ही चलानी है। नियम तो है कि लाइन की गाड़ियों में दो ड्राइवर और एक क्लीनर होंगे पर नब्बे प्रतिशत में एक ही ड्राइवर व क्लीनर होते हैं।

''नियम-कानूनों को तोड़ने से ही शुरू होता है ट्रान्सपोर्ट का धन्धा। उदाहरण के लिये दिल्ली से मुम्बई का ट्रक का भाड़ा 13,000 रुपये है जबकि ड्राइवर को 'खर्चा' ही दस हजार दिया जाता है! दर असल सिंगल पार्टी का किराया 13,000 है जबकि चलन है डबल रिपोर्ट का — मतलब एक ट्रक दो पार्टी का माल ले जायेगा, एक ट्रक में दो ट्रक का माल लादना। ट्रक ओवरलोड होना ही है! ऊँचाई ज्यादा होनी ही है! कानून तोड़ने ही तोड़ने हैं — इसलिये भी 'खर्चा'।

'' दिल्ली से मुम्बई के लिये ट्रक ड्राइवर को रास्ते के लिये दस हजार रुपये पूरा हिसाब लगा कर दिये जाते हैं। डीजल पर व्यय, ड्राइवर-क्लीनर का रोटी खर्चा और फिर पुलिस खर्चा, आर.टी.ओ., टोल टैक्स, सेल्स टैक्स पासिंग, नाका, गाइड, डाला.... 'खर्चा' में यह सब निपटाना। उदाहरण के लिये गाजियाबाद से

(बाकी पेज दो पर)

बन्दी वाणी (9)

[अमरीका सरकार ने ''अपने'' बीस लाख लोगों को सजा दे कर और आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना रखा है। यूँ तो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में ढाल दिया गया है, अधिकाधिक ढाला जा रहा है, फिर भी, सरकारों के कारागारों में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकड़ हम से अधिक होती है। अनुवाद की और सन्दर्भों की दिक्कतों के कारण यहाँ हम अपने शब्दों में अमरीका सरकार के कैदखानों में बन्द लोगों की वाणी को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।]

काफी समय से अमरीका में बलात्कार, डकैती और हत्या को समाज के विरुद्ध अपराध माना गया है। ''समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न'' करने वालों को ''जन शत्रु'' करार दिया जाता रहा है। अपराध के शिकार व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि अपराधी अपना ''समाज को ऋण'' अदा करे इसको सुनिश्चित करना सरकारी वकील का काम रहा है। समाज के ''वृहदतर भले'' पर केन्द्रित और आंशिक तौर पर अपराधी के पुनर्वास का ध्यान रखने से ऐसे लगता रहा है आया अपराध के शिकार लोग पूरी तरह अनदेखे कर दिये जाते हैं। ऐसे में कई लोगों ने दो बार शिकार बनाये जाने की बात की — पहले अपराधी द्वारा शिकार बनाना और फिर व्यवस्था द्वारा, संवेदनाहीन सरकारी तन्त्र द्वारा।

पीड़ितों में दर्द, कुंठा और आक्रोश की भावनायें व्यापक हैं और इन से पार पाना अकसर कठिन होता है। अफसोसनाक यह भी है कि ऐसी भावनायें दूसरों को पीड़ा पहुँचाने को जायज ठहराने में काम आ सकती हैं। अपराध के शिकार कई लोगों की ऐसी भावनाओं को ''पीड़ित अधिकार अभियान'' के नाम वाली धारा में मोड़ा गया है। इस अभियान ने ''अपराध के खिलाफ सख्ती'' वाले विभिन्न कानून पारित करवाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है — ऐसे कानूनों के पीछे के अन्य कारणों का यहाँ जिक्र नहीं करूँगा।

अब सजा की अवधि तय करने में, सजा के पश्चात माफी की सुनवाई में, सजा के दौरान कुछ समय की रिहाई पर विचार करते समय पीड़ित पर असर के बयानों पर ध्यान दिया जाता है। कई प्रान्तीय सरकारों ने पीड़ित वकील कार्यालय स्थापित किये हैं। कुछ मामलों में सजायें दुगनी, तिगुनी तक की गई हैं। इससे कैदियों की सँख्या इतनी बढ गई है कि पहले इतनी बड़ी तादाद बन्दियों की कभी नहीं थी। छोटी-मोटी चोरी जैसे अपराधों के लिये आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है और फिर भी अधिक कठोर कानून पारित करने की माँग करते समवेत स्वरों की गूँज बढ रही है।

इस दौरान लाखों पुरुष, स्त्रियाँ और हाँ, बच्चे इस समय अमरीका में बन्दी हैं, अकसर बरबर हालात में कैद हैं। प्रत्येक बन्दी की टोह में अकेलापन, पश्चाताप तथा डर तो होते ही हैं और इन से ही निपटना हो तो वह जेल में बेहतरीन स्थिति होती है। लेकिन कैद के दौरान पिटाई, बलात्कार और हत्या वाली बदतरीन हालात भी होती हैं। ऊपर से, हर समय ताने दिये जाते हैं कि बन्दियों का जीवन ज्यादा आसान है, कैद उनके लिये पर्याप्त कठोरता लिये नहीं है।

कुछ लोग जो स्वयं को अपराध के शिकार बताते हैं वे इस अथवा उस करम के लिये अपराधी को गोलियों से उड़ाने, चाकुओं से गोदने, विस्फोटक से उडाने, मृत्यु तक भूखा रखने, खुँखार कुत्तों से नुचवाने जैसी घोषणायें करते हैं।

निजी तौर पर मैं अन्य लोगों द्वारा मुझे माफ कर दिये जाने की उम्मीद नहीं करता। मुझे तो इसका ही भरोसा नहीं है कि मैं कभी भी स्वयं को माफ कर पाऊँगा। मैंने बहुत बुरा किया है, कुछ नुकसान की तो पूर्ति हो ही नहीं सकती। मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं पीड़ा भोगूँ। मुझे कारागार में अठारह वर्ष से अधिक हो गये हैं — यह समय मेरे लिये न तो आसान रहा है और न मस्ती वाला। आजीवन कारावास जीवित दफन कर दिये जाने के समान है। स्वयं पर दया दिखाने जैसा लगे बिना मैं जो लज्जा, अपराधबोध, दुख और निराशा महसूस करता हूँ उसका बयान कैसे करूँ? मैं यह याद रखने की कोशिश करता हूँ कि अन्य लोगों को मुझ से बदतर झेलना पड़ रहा है। मैं आभारी हूँ उन चीजों के लिये जो मेरे पास हैं। मैं अपनी मानवीयता से बंदहवास-सा चिपका हूँ और जीवन के लिये कुछ अर्थ ढूँढने का प्रयास करता हूँ। अपने अस्तित्व में मैं कुछ अच्छा, बेशक सीमित, ढूँढ लेता हूँ। फिर भी सतह के तले मैं सतत शोक अवस्था में हूँ। मैं अपने स्वयं के खो गये जीवन का शोक मना रहा हूँ।

जो कोई यह सोचते हैं कि मैं मस्ती कर रहा हूँ वे निश्चिन्त रहें, यह स्थिति मुझे कुचल रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीड़ा झेलूँ तो यह हो रहा है। कई बार मुझे इतना दर्द और कुंठा होती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? और फिर भी, कुछ के लिये तो मेरा पीड़ा भोगना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा।

जो चाहते हैं कि मैं पीड़ा भोगूँ उनके प्रति मेरी प्रतिक्रिया क्या है? एकमात्र चीज जिसमें मुझे अर्थ नजर आता है वह यह है कि मैं उनके प्रति वैसा व्यवहार करूँ जैसा मैं अपने प्रति चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि लोग मुझे मेरी सम्पूर्णता में एक मनुष्य के तौर पर देखें, मेरे व्यक्तित्व के एक पहलू द्वारा मुझे नहीं आँकें। अपनी स्वयं की पीडा अथवा गुस्से के क्षणों में मैंने जो हमले किये उनके लिये मैं सदा के लिये चिन्हित किया जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग यह समझें कि वह सब जो वे महसूस करते हैं वह मैं भी महसूस करता हूँ। मैं बिछुड़ना-खोना जानता हूँ, मैं दुख को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि शिकार बनने पर कैसा महसूस होता है — मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जो मैं पाना चाहता हूँ उसके अलावा मेरा बुरा चाहने वालों को मैं और क्या दे सकता हूँ?

मैं कोई ''सन्त'' नहीं हूँ। मेरे में कई बुराईयाँ हैं और आशा है कि कुछ सद्‌गुण भी हैं। जो मेरा बुरा चाहते हैं उनके प्रति मैं सहनशील और सहृदय होना चाहता हूँ — इसलिये नहीं कि मैं उनसे अच्छा हूँ बल्कि इसलिये कि मैं उनकी तरह ही हूँ।

...... किसी की पीड़ा के उपचार में मैं कोई भूमिका निभा सकूँ तो कितना अच्छा रहे!

— टॉम, अमरीका सरकार के कारागार में बन्दी

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।